इटावा पुलिस

प्रेस नोट – दिनांक: 01.04.2026

- **टोल प्लाजा पर बैरियर क्षतिग्रस्त करने व जान से मारने की धमकी देने की घटना में त्वरित कार्यवाही करते हुए इटावा पुलिस द्वारा 03 अभियुक्त गिरफ्तार।**
- **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में थाना चौबिया पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।**

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 01.04.2026 को वादी हिमांशु चौहान (टोल इंचार्ज) निवासी ग्राम चौराईपुर, थाना किशनी, जनपद मैनपुरी द्वारा थाना चौबिया पर लिखित सूचना दी गई कि दिनांक 31.03.2026 की रात्रि करीब 10:15 बजे वाहन संख्या UP75CT3779 के चालक (अज्ञात) द्वारा बख्तयारपुर टोल प्लाजा पर स्वयं को स्थानीय बताते हुए बैरियर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चौबिया पर **मु0अ0सं0 48/2026 धारा 324(3)/351(3) बीएनएस** पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए थाना चौबिया पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0: 48/2026 धारा 324(3)/351(3) बीएनएस, थाना चौबिया, जनपद इटावा।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

संजय सिंह पुत्र दफेदार सिंह निवासी ग्राम मसनाई, थाना चौबिया, जनपद इटावा, उम्र करीब 35 वर्ष (वाहन स्वामी)
गौरव यादव पुत्र शिवराम सिंह निवासी ग्राम मसनाई, थाना चौबिया, जनपद इटावा, उम्र करीब 34 वर्ष (चालक)
दीप कुमार उर्फ दीपू पुत्र मेहरबान सिंह निवासी ग्राम नगला धौकल, थाना चौबिया, जनपद इटावा, उम्र करीब 32 वर्ष (सह-अभियुक्त)

पुलिस टीम:- थानाध्यक्ष श्री महेन्द्र सिंह, थाना चौबिया मय टीम।